

राजस्थान सरकार
जिला उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, श्रीह
श्रीह जिले की लोक अदालत / कैम्प कोर्ट कैम्प

सेवा पर्व पखवाड़ा के अन्तर्गत
" ग्रामीण सेवा शिविर-2025 "

आदेश:-

ग्रामीण सेवा शिविर "ग्रामीण सेवा पर्व पखवाड़ा के अन्तर्गत" में भाग लेने वाले पत्र एवं पट्टाधारी लाखागुडा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान राजस्व अधिनियम 1938 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम लाखागुडा तहसील श्रीह जिला राजप्रमोद में वर्तमान में दर्ज पट्टा के विवरणों तथा से हुए विस्थापन राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान पतिवृत्ति (अशुद्ध पतिवृत्ति)	आदेश (शुद्ध पतिवृत्ति जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>लाखागुडा</u>	<u>132</u>	<u>लच्छू पुत्र</u> <u>नाम्पा हिस्सा- 1/6</u> <u>जाति- लुहार</u> <u>सा. दे. खातागुडा</u>	<u>लच्छीराम पिता</u> <u>नाथुलाल हिस्सा-</u> <u>1/6 जाति- लुहार</u> <u>सा. दे. खातागुडा</u>

Sharma
उपखण्ड अधिकारी भीम
जिला- राजप्रमोद एवं
पदेन सहा. कलेक्टर

दिनांक :- 04/10/2025

क्रमांक - 125/379

विवरण :-

1. तहसीलदार भीम को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर फलन रिपोर्ट भिजवाये।
2. पट्टा धारी लच्छीराम S/O नाथुलाल को सूचनाएं।
3. रचित पत्रावली।

Sharma
सहायक कलेक्टर एवं
जिला- राजप्रमोद एवं
पदेन सहा. कलेक्टर